कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन कक्ष),सतपुड़ा भवन,मध्य प्रदेश भोपाल

Tele & Fax No. 0755 - 2674354, E-mail – apccfproduction@gmail.com

कमांक/उत्पादन/बांस/2008/ 1449 भोपाल,दिनांक ~~2008~~ 15-4-2008

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्य प्रदेश

विषयः–औद्योगिक एवं व्यापारिक बांसों की न्यूनतम गोलाई निर्धारित करने बाबत।

कार्यालयीन पत्र कमांक/मुवसंउ./बांस/9735 दिनांक 7.4.1988 के निर्देशों के तहत औद्योगिक बांस हेतु पतले सिरे पर न्यूनतम गोलाई 4 सें.मी. तथा व्यापारिक बांस हेतु न्यूनतम गोलाई 6 सें.मी. थी। विदोहन में बढ़ती लागत और घटते विकय मूल्य को देखते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के पत्र कमांक/अप्रमुवसं /उत्पादन/6130 दिनांक 5.11.99 द्वारा औद्योगिक बांस हेतु पतले सिरे हेतु न्यूनतम गोलाई 6 सें.मी. तथा व्यापारिक बांस हेतु न्यूनतम गोलाई 8 सें.मी. रखी गयी है। वर्तमान में इन्हीं निर्देशों के अंतर्गत औद्योगिक बांस के पतले सिरे पर न्यूनतम गोलाई 6 सें.मी. तथा व्यापारिक बांस के पतले सिरे पर न्यूनतम गोलाई 8 सें.मी. रखी जाती है।

विगत वर्षो में मध्य प्रदेश में बांस पुष्पन के कारण अधिकांश बांस का विदोहन हो चुका है जिससे बांस का उत्पादन अत्यधिक कम हो गया है। इसके कारण निस्तारी बांस की पूरे प्रदेश में कमी महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ 8 सें.मी. एवं 6 सें.मी. की गोलाई पर बांस को काटे जाने के बाद शेष बचा बांस जंगल में ही रह जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है तथा जंगल में पड़े रहने से वन क्षेत्रों में आग लगने का कारण बनता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों के अंतर्गत औद्योगिक बांस के पतले सिरे की न्यूनतम गोलाई 4 सें.मी. तथा व्यापारिक बांस के पतले सिरे की न्यूनतम गोलाई 6 सें.मी. निर्धारित की जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अधिक से अधिक व्यापारिक बांस निकाला जाए जिसके पतले सिरे पर न्यूनतम गोलाई 6 सें.मी. हो। इसके उपरांत ही औद्योगिक बांस निकाला जाए और औद्योगिक बांस के पतले सिरे की न्यूनतम गोलाई 4 सें.मी. ही रखी जाए। जाब दरें इस प्रकार निर्धारित की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक बांस उपलब्ध हो सके जिससे प्रदेश के निस्तार की पूर्ति की जा सके।

9/4/08

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.कमांक/उत्पादन/बांस/2008/ 1450 भोपाल,दिनांक 15-4-2008

प्रतिलिपिः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)/प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम,म.प्र.भोपाल

2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्य प्रदेश भोपाल

15/4/08

8